



सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय / रा0मा0 / ए0डी0बी0,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून / हल्द्वानी / पौड़ी / अल्मोड़ा।

विषय:-
महोदय,

चिकित्सा प्रतिपूर्ति बीजकों को प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पं० दीन दयाल उपाध्याय, (कोरोनेशन)/महात्मा गाँधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र देहरादून के पत्रांक-जि0चि0/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/ 2022-23/2026 दिनांक 30.12.2022 द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बीजकों को प्रतिहस्ताक्षरित करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः प्रमुख अधीक्षक के पत्र दिनांक-30.12.2022 की छायाप्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि चिकित्सा विभाग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर हेतु चिकित्सा विभाग को प्रस्तुत किये जाने हेतु अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोपरि।

(पी0एस0नबियाल)
वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रमुख अधीक्षक के पत्र दिनांक -30.12.2022 की छायाप्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अधीक्षण अभियन्ता,.....वृत्त, लोक निर्माण विभाग,.....।
- 2- समस्त अधिशासी अभियन्ता,.....खण्ड, लोक निर्माण विभाग,.....।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 सेल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने एवम सम्बन्धितों को ई-मेल हेतु प्रेषित।

संलग्न:- यथोपरि।

वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर



कार्यालय, प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय,
पं० दीन दयाल उपाध्याय, (कोरोनेशन) / महात्मा गाँधी शताब्दी नेत्र
चिकित्सा विज्ञान केन्द्र, देहरादून।

कर्जम रोड, देहरादून, (248001) दूरभाष संख्या - 01352651273, ईमेल - coronationhosp@gmail.com

पत्रांक: जि०चि० / चिकित्सा प्रतिपूर्ति / 2022-23 / 20 26

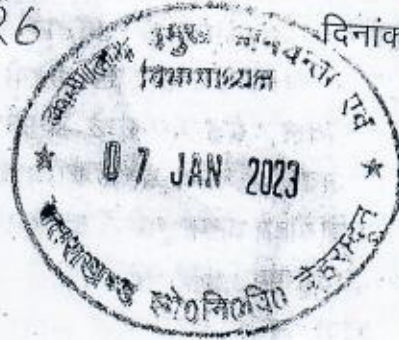
सेवा में,

दिनांक: 30-12-2022

श्रीमान्... कार्यालय अधीक्षक

प्रमुख अधिकारी, जोरनिचि

प्रमुख कार्यालय / 30-23



SAO चिकि

7/1/23

विषय:

चिकित्सा प्रतिपूर्ति बीजको को प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के शासनादेश संख्या 688/XXVIII-4-208-04 दिनांक 25.11.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके प्रावधानों के तहत जिला/उपजिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक द्वारा रु० 1.5 लाख की सीमा तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति बीजको को परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु विभागों/कार्मिकों/पेंशनर्स द्वारा प्रेषित किया जाता है लेकिन कतिपय/विभागों/कार्मिकों/पेंशनर्स द्वारा अधूरे व त्रुटिपूर्ण बीजक जमा किये जा रहे हैं जिससे बीजको को प्रतिहस्ताक्षरित करने में इस कार्यालय को असुविधा हो रही है इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं का संज्ञान लेने का कष्ट करें।

1. राज्य स्वा० प्राधिकरण द्वारा हर जनपद के जिला चिकित्सालयों/उप-जिला चिकित्सालयों के प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक को 1.5 लाख की सीमा तक बीजक प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है लेकिन जनपद देहरादून के अन्तर्गत आने वाले सभी विभागों के कार्मिक/पेंशनर्स के बीजक जिला चिकित्सालय को ही भेजे जा रहे हैं जिससे जिला चिकित्सालय के कार्यालय पर कार्य का इसका अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। जनपद देहरादून के अन्तर्गत आने वाले उप-जिला चिकित्सालयों की परिधि के अन्तर्गत आने वाले विभाग/कार्मिक वही पर इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं ये उप-जिला चिकित्सालय मसूरी, ऋषिकेश, विकासनगर, सन्धिपुर क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं।
2. जनपद देहरादून के अन्तर्गत राज्य सचिवालय, विधानसभा सचिवालय एवं राजभवन में संचालित चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को रु० 40,000/- की सीमा तक बीजक प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु शासनादेश संख्या XXIV-3-2013-437/2002 दिनांक 10.07.2013 के द्वारा अधिकृत किया गया है राज्य विधानसभा एवं सचिवालय स्थित चिकित्सालय के प्रभारी द्वारा वर्तमान में भी यह कार्य सम्पादित किया जा रहा है अतः इन विभागों के 40,000.00 तक की सीमा तक के बीजक इस चिकित्सालय को न भेजे जाये।
3. शासनादेशानुसार राज्य से बाहर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में उपचार प्राप्त करने हेतु राज्य के अन्तर्गत आने वाले किसी सूचीबद्ध चिकित्सालय से संदर्भण (Referral) करवाना अनिवार्य है।
4. प्रतिहस्ताक्षर हेतु जमा बीजको के अनिवार्यता प्रमाण-पत्र का प्रारूप प्राधिकरण द्वारा निर्धारित

5. अनिवार्यता प्रमाण पत्र में उपचार ले रहे कार्मिक/पेंशनर्स के पदनाम के साथ-साथ पे लेवल/ग्रेड वेतन का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि कार्मिक/पेंशनर्स को कई सुविधाये उनके पे लेवल/ग्रेड वेतन के अनुसार देय होती है।
6. प्रत्येक बीजक के साथ प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को सम्बोधित एक कवरिंग लेटर/प्रार्थना पत्र दो प्रतियो में जमा करे जिसमें एक प्रति में प्राप्ति स्वीकार की जायेगी।
7. अनिवार्यता प्रमाण पत्र की सभी प्रविष्टियों को सही ढंग से भरा जाना आवश्यक है वाह्य रोगी अथवा अन्तः रोगी का उल्लेख आवश्यक है त्रुटिपूर्ण एवं अधूरे बीजक स्वीकार नहीं किये जायेंगे। शासनादेशानुसार चैक लिस्ट विभागों द्वारा कार्मिकों से लेना अनिवार्य है।
8. अनिवार्यता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न समस्त बिल/वाउचर्स की सूची संख्या एवं धनराशि का उल्लेख करते हुये संलग्न करना आवश्यक है जिससे बीजको के आगणन में सुविधा होगी बिल/वाउचर्स उपचारकर्ता चिकित्सक से प्रमाणित होना अनिवार्य है।
9. कार्मिक/पेंशनर्स के आश्रित के बीजक में आश्रित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा पेंशनर्स अपना पेंशन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।
10. सभी बिल/वाउचर्स के साथ ओपीडी (वाह्य रोगी) अथवा अन्तः रोगी (भर्ती रोगी) का पर्चा अथवा डिस्चार्ज स्लिप अनिवार्य है अन्यथा बीजक प्रतिहस्ताक्षरित करना संभव नहीं होगा।
11. चिकित्सालय के चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुभाग में चिकित्सा प्रतिपूर्ति बीजको को जमा करने एवं प्रतिहस्ताक्षरित बीजको को प्राप्त करने का समय प्रत्येक कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से अपराह्न 02 बजे तक निर्धारित है बीजको को जमा करते समय सम्बन्धित कार्मिक/पेंशनर्स एवं कार्यालय अधीक्षक/प्रभारी का दूरभाष नम्बर अंकित करना आवश्यक है ताकि त्रुटिपूर्ण बीजको एवं प्रतिहस्ताक्षरित बीजको के सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा सूचना दी जा सके, सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित विभाग/कार्मिक/पेंशनर्स अपने बीजको को तुरन्त प्राप्त कर ले पर्याप्त संसाधनों के अभाव में चिकित्सालय द्वारा बीजक सम्बन्धित विभाग को भेजा जाना संभव नहीं है। प्राप्ति में विलम्ब होने पर बीजक चिकित्सालय के अभिलेखागार में संरक्षित कर दिये जायेंगे।

अतः सभी विभागों/कार्मिकों/पेंशनर्स से अपेक्षा है कि उपरोक्त बिन्दुओं का अवलोकन कर अपने अधीन कार्यरत कार्मिक/पेंशनर्स को इस सम्बन्ध में सूचना पट आदि के माध्यम से अवगत एवं अनुपालन करवाने का कष्ट करे ताकि सही समय पर कार्मिकों/पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सकें।


 प्रमुख अधीक्षक,
 जिला चिकित्सालय,
 देहरादून।

कार्यालय, प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय,
पं० दीनदयाल उपाध्याय, (कोरोनेशन) / महात्मा गाँधी शताब्दी नेत्र
चिकित्सा विज्ञान केन्द्र, देहरादून।

कार्जनरोड, देहरादून, (248001) दूरभाष संख्या - 01-352651-273. ईमेल - gandhievhospitaldehradun@gmail.com

सेवामे,

लोगिक वि०

अनुभाग कार्मिक / डे०

विषय - चिकित्सा - प्रतिपूर्ति बीजकों के सम्बन्ध में निर्देश -

1 - जिला चिकित्सालय में प्रतिहस्ताक्षर / सत्यापन हेतु बीजकों में दस्तावेज निम्नानुसार क्रमवार सलग किये जायेंगे।

(a) - सम्बन्धित कार्मिकों / पेंशनर्स के विभागीय आहरण - वितरण अधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ~~अधीक्षक~~ ^{प्रमुख चिकित्सक} को सम्बोधित कवरिंग - लेटर।

(b) - अनिवार्यता प्रमाण - पत्र समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से भर कर।

(c) - बिल - बाऊचर का विवरण - क्रम सं०, बिल की संख्या / तिथि, व्यय की गयी धनराशि एवं देय धनराशि के कॉलम के प्रारूप में।

(d) - बाह्य रोगी की दशा में मरीज की ओ० पी० डी० का पर्चा, भर्ती रोगी की दशा में मरीज का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (Summery)।

(e) - बाह्य रोगी की दशा में उपचारकर्ता चिकित्सक से प्रमाणित बिल - बाऊचर्स।

(f) - अंतःरोगी की दशा में डिस्चार्ज पर मिलने वाला फाइनल बिल।

(g) - पैथोलॉजी परीक्षण जाँच की रिपोर्ट (खून, मलमूत्र आदि की जाँच)

(h) - रेडियोलॉजिकल परीक्षण की जाँच - रिपोर्ट एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, एम० आर० आई०, ई० सी० जी० इको सिटी स्कैन आदि की रिपोर्ट, मूल रूप में फिल्म, शीट्स आदि न लगायें।

(i) - गैर सूची बद्ध निजी चिकित्सालयों में भर्ती होकर उपचार करवाने वाले कार्मिक / पेंशनर्स चिकित्सालयों से प्राप्त "To Whomesover it May Concern" प्रमाण - पत्र सलग करें।

(j) - यदि किसी कार्मिक / पेंशनर ने S.G.H.S में सूचीबद्ध चिकित्सालय में कैश - लैस उपचार करवाया है तो उसके उपचार का कोई भी बिल प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रेषित नहीं किया जायेगा।

(k) - अन्य बीमा कंपनियों द्वारा कैशलेस उपचार करवाने वाले कार्मिकों / पेंशनर्स द्वारा S.G.H.S से भुगतान हेतु कोई भी बिल प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

(l) - अनिवार्यता प्रमाण - पत्र में प्राधिकृत चिकित्सक वाले कॉलम में उपचारकर्ता चिकित्सालय के अधीक्षक अथवा प्रभारी का मुहर सहित हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं।

(m) चिकित्सालय के चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुभाग - कक्ष सं० - 20/01 में ही बीजक जमा किये जायेंगे, किसी अन्य अनुभाग अथवा कार्मिक को बीजक सौंपने पर जमा करने वाले कार्मिक / पेंशनर्स स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कृपया सभी कार्यालयाध्यक्ष / कार्मिक / पेंशनर्स उपरोक्तानुसार चिकित्सा - प्रतिपूर्ति बीजकों की औपचारिकतायें पूर्ण कर ही जिला चिकित्सालय में प्रस्तुत करेंगे अन्यथा की स्थिति में बीजकों पर लगने वाली आपत्तियों एवं विलम्ब के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

नोडल अधिकारी

चिकित्सा प्रति पूर्ति अनुभाग,

जिला चिकित्सा (कोरोनेशन) देहरादून।